

Title Regarding need to ensure implementation of law providing reservation for promotion to STs in the States – Laid.

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी): कुछ वर्षों से आदिवासी लोगों की सेवाओं में प्रोन्नति और अन्य सुविधाओं के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी परंतु वर्तमान सरकार ने आदिवासी लोगों के विकास के इन सेवाओं में प्रोन्नति और अन्य सुविधाओं को पुनः लागू किए जाने हेतु सदन से एक बिल पास हुआ। परंतु कई राज्य सरकारों ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है, जिसके कारण आदिवासी लोगों को अन्य वर्गों के समक्ष विकास करने में कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि माननीय न्यायालय और सदन से बिल पास होने के बीच अंतराल में कई आदिवासी लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। इस अंतराल में कई आदिवासी लोगों को लाभ से वंचित होना पड़ा इसके लिए भरपाई होनी चाहिए।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि सदन के द्वारा पास बिलों को सभी राज्यों से लागू करवाएं और कुछ समय आदिवासियों को लाभ नहीं मिल सका उसकी भरपाई करवाएं।